

आपदा प्रबंधन के लिए योजना आपदा प्रबंधन चक्र का प्रथम चरण है, जिस पर शेष घटकों की प्रभावकारिता तथा सफलता मुख्यतः निर्भर है। आपदा प्रबंधन के लिए एक बहुस्तरीय योजना प्रणाली की स्थापना की गई थी। देश में मौजूद निर्धारित प्रणाली के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय अंतराल और विलंब थे।

3.1 आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना

3.1.1 आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना का अभाव

राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (रा.का.स.) को देश के लिए आपदा प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय योजना तैयार करना थी और उसे रा.आ.प्र.प्रा. द्वारा अनुमोदित किया जाना था। तब योजना को उन मंत्रालय एवं विभागों में प्रसारित करना था, जिन्हें अपनी योजनाओं को इसके अनुसार बनाना था।

राष्ट्रीय योजना में सम्मिलित करना था:

- आपदा की रोकथाम हेतु किये जाने वाले उपाय, अथवा उनके प्रभावों का न्यूनीकरण;
- विकास योजनाओं में न्यूनीकरण उपायों के एकीकरण हेतु उठाये जाने वाले कदम;
- किसी आशंकापूर्ण आपदा की स्थिति अथवा आपदा में प्रभावपूर्ण प्रतिक्रिया के लिए तैयारी एवं क्षमता निर्मित करने हेतु किये जाने वाले उपाय; तथा
- भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की उपर्युक्त संदर्भित कदमों के संबंध में भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ।

रा.का.स. ने योजना की तैयारी हेतु उनके सहयोग के लिए एक कार्यकारी समूह (फरवरी 2007) का गठन किया था। कार्यकारी समूह की पहली बैठक मार्च 2007 में आयोजित हुई थी, जिसने विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा प्राप्त निविष्टियों के प्रारूप को अंतिम रूप दिया।

हमने देखा कि मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा अगस्त 2007 तक सूचना प्रस्तुत की जा चुकी थी, परंतु रा.का.स. अथवा कार्यकारी समूह द्वारा इस पर कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की थी। वास्तव में, कार्यकारी समूह, मार्च 2007 में हुई पहली बैठक के बाद फिर कभी नहीं मिला था।

हमने पाया कि मई 2008 में अपनी तीसरी बैठक में रा.का.स. ने निर्णय लिया कि:

- मंत्रालय तथा विभाग संयुक्त सचिव स्तर पर एक नोडल अधिकारी को राष्ट्रीय योजना बनाने तथा सभी हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु नियुक्त कर सकता है; तथा
- राष्ट्रीय योजना की तैयारी हेतु सांस्थानिक तंत्र बनाया जा सकता है।

इन निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए, गृ.मं. ने राष्ट्रीय योजना का गठन तीन भागों में किया:



गृ.मं. (सितम्बर 2008) ने तीनों भागों को तैयार करने के लिए तीन समितियों का गठन किया और एक सुविधा सेवा समिति का गठन, राष्ट्रीय योजना की तैयारी में रा.का.स. की ओर से समन्वय तथा निगरानी का कार्य करने के लिए किया। सुविधा सेवा समिति की एक बैठक में, यह निर्णय लिया गया था (अप्रैल 2009) कि इसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आनेवाली आपदाओं के संबंध में राष्ट्रीय प्रतिक्रिया योजना गृ.मं. के द्वारा तैयार की जानी चाहिए। गृ.मं. को विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा तैयार राष्ट्रीय न्यूनीकरण योजना की प्रगति की समीक्षा भी करनी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दिसम्बर 2009 तक, गृ.मं. द्वारा प्रतिक्रिया योजना पर कोई कार्य आरंभ नहीं किया गया था। दिसम्बर 2009 में, गृ.मं. द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (रा.आ.प्र.स.) को प्रतिक्रिया योजना को तैयार करने से संबंधित कार्य को उपक्रमित करने का निर्देश दिया गया था। तथापि, छः माह बाद, गृ.मं. ने (जून 2010) राष्ट्रीय योजना को सितम्बर 2010 तक तैयार करने का पूरा दायित्व रा.आ.प्र.सं. को आगे सौंप दिया। राष्ट्रीय योजना की स्थिति निम्नानुसार था:

(क) राष्ट्रीय न्यूनीकरण योजना

विभिन्न आपदाओं के लिए चिन्हित दस नोडल केन्द्रीय मंत्रालयों को उनके आपदा विशिष्ट न्यूनीकरण योजनाएं बनाने के लिए कहा गया था। सात मंत्रालयों¹¹ ने गृ.मं. के पास योजनाएं भेजी थी, जो फिलहाल टिप्पणियों के लिए रा.आ.प्र.सं. के पास लम्बित थी। हमने पाया कि पर्यावरण एवं वन, भू-विज्ञान तथा स्वास्थ्य एवं

¹¹ जल संसाधन, कृषि, रक्षा, रेलवे, खनन, नागरिक उड्डयन के मंत्रालय तथा परमाणु ऊर्जा विभाग

परिवार कल्याण मंत्रालयों ने अपनी योजनाएं सितम्बर 2012 तक प्रेषित नहीं की थी।

(ख) राष्ट्रीय प्रतिक्रिया योजना

रा.आ.प्र.स. ने अप्रैल 2012 में राष्ट्रीय प्रतिक्रिया योजना का मसौदा प्रस्तुत किया था। गृ.मं. ने (सितम्बर 2012) में बताया कि मसौदा योजना को सभी संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्यों तथा सं.शा.प्र. को उनकी टिप्पणियों के लिए, अंतिम रूप देने के पहले प्रसारित कर दिया गया था।

(ग) राष्ट्रीय क्षमता निर्माण योजना

इस योजना की तैयारी का कार्य, सितम्बर 2008 में रा.आ.प्र.सं. को सौंपा गया था। यह अभी भी तैयार हो रहा था (अगस्त 2012)।

हमने पाया कि रा.का.स. तथा गृ.मं., आपदा प्रबंधन अधिनियम बनने के छः वर्ष बीत जाने के बाद भी, आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना नहीं बनाई थी। राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना के अभाव का प्रभाव राज्यों पर पड़ रहा था। राज्यों के पास उनके योजना को आधार देने के लिए कोई संदर्भ रूपरेखा नहीं थी। इन योजनाओं के आस्तित्व के बगैर, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन की गतिविधियों का नियंत्रण, संगठन, निर्देश, तथा समन्वय करना कठिन होगा।

जैसा कि राष्ट्रीय अधिनियम में अभिप्रेत था, विकास आयोजन में आपदा प्रबंधन के न्यूनीकरण तथा तैयारी संबंधी बिन्दुओं किस हद तक शामिल किया गया है इसे मापना कठिन होगा।

गृ.मं. ने बताया (दिसम्बर 2012) कि राष्ट्रीय योजना के विभिन्न घटकों जैसे कि राष्ट्रीय प्रतिक्रिया योजना, राष्ट्रीय शमन योजना एवं राष्ट्रीय क्षमता निर्माण योजना का निर्माण, संबंधित मंत्रालयों द्वारा अन्य शमन योजनाओं के साथ किया जा रहा था। इसने आगे बताया कि

भारत जैसे बड़े देश के लिए योजना के सभी पहलुओं को आवृत्त करते हुए राष्ट्रीय योजनाओं का उपक्रम, शमन उपक्रम एवं क्षमता निर्माण, एक जटिल एवं विशाल कार्य था जिसमें अनेक सरकारें, विभाग और अभिकरण शामिल होते हैं। यद्यपि, यह एक ही बार होने वाली गतिविधि थी परन्तु इसमें चल रही गतिविधियों की शृंखला शामिल थी, जिनमें तालमेल कायम करने की आवश्यकता थी।

हम यह विचार रखते हैं कि एक रूपरेखा का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिए ताकि विभिन्न हितधारकों को आपदा तैयारी के लिए अति आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके क्योंकि पहले ही काफी समय बीत चुका है और अभी भी आपदा प्रबंधन की कानूनी रूपरेखा परिवर्तन की अवस्था में है।

3.2 आपदा प्रबंधन के लिए राज्य योजनाएं

आ.प्र. अधिनियम की धारा 23 यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक आपदा प्रबंधन योजना होनी चाहिए। यह राज्य सरकारों के विभागों को, राज्य योजना की संगति में अपनी स्वयं की योजना बनाने का निर्देश भी देता है।

योजना बनाने की प्रक्रिया का लक्ष्य अनिवार्य रूप से समुदायों, चुने हुए स्थानीय निकायों तथा राज्य प्रशासन की प्रतिक्रिया एवं तत्परता को सुदृढ़ करना है। राज्य योजनाएं, राज्य कार्यकारणी समिति (रा.का.स.) द्वारा रा.आ.प्र.प्रा. द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार की जानी थी। रा.का.स. द्वारा तैयार की गयी राज्य योजनाएं संबंधित रा.आ.प्र.प्रा. द्वारा अनुमोदित की जानी थी।

अधिनियम के अनुसार, रा.आ.प्र.प्रा. को, राज्य योजना बनाने में राज्य प्राधिकारियों द्वारा अनुपालन किये जाने वाले, दिशानिर्देशों का निर्धारण भी करना था। यह पाया गया कि रा.आ.प्र.प्रा. ने जुलाई 2007 में राज्य आपदा प्रबंधन योजना के लिए दिशानिर्देश जारी किए। तथापि, राज्य योजना तैयार करने में राष्ट्रीय

दशानिर्देशों को राज्य पर बाध्यकारी बनाने का वहाँ कोई प्रावधान नहीं था।

हमने पाया कि मई 2012 तक केवल 14 राज्यों¹² ने रा.आ.प्र.प्रा. के साथ अपने मसौदा अथवा अंतिम राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं (रा.आ.प्र.यो.) को साझा किया था। रा.आ.प्र.प्रा. अपने पास उपलब्ध राज्य योजनाओं की अद्यतित स्थिति लेखापरीक्षा हेतु प्रदान नहीं कर पाया। विभिन्न राज्य योजनाओं की रा.आ.प्र.प्रा. को प्रस्तुति तथा उन पर की गई कार्रवाई पर कोई समान डाटा नहीं था। इस प्रकार, यह प्रमाणित होता है कि रा.आ.प्र.प्रा., राज्य सरकारों के आपदा प्रबंधन हेतु राज्य योजनाओं को अंतिम रूप देने के प्रयासों का प्रभावपूर्ण रूप से समन्वय करने में असफल रहा।

गृ.मं. ने बताया (दिसम्बर 2012) कि प्रधान सचिवों और राहत आयुक्तों के स्तर की कार्यशाला, और रा.आ.प्र.प्रा. की वित्तीय सहायता द्वारा, राज्यों को उनकी योजनाओं के उपक्रम

¹² आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, झारखण्ड, कर्नाटक, मिजोरम, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश

हेतु प्रोत्साहित करने के प्रयास किए गए थे। इन सक्रिय पहलों के परिणामस्वरूप, 14 राज्यों/सं.शा.क्षे. ने अपनी मसौदा आपदा प्रबंधन योजनाएं, रा.आ.प्र.प्रा. के साथ बांटी।

तथापि, हमने पाया कि जुलाई 2007 के राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के बावजूद, राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

3.2.1 रा.आ.प्र.यो. को बनाने के लिए सहायता अनुदान

रा.आ.प्र.प्रा. ने (फरवरी 2009) सभी राज्यों, सं.शा.प्र., मंत्रालयों तथा विभागों को आपदा प्रबंधन योजना बनाने के लिए सहायता अनुदान जारी करने की एक नयी योजना शुरू करने का निर्णय लिया। इस उद्देश्य के लिए, रा.आ.प्र.प्रा. ने दो स्थायी वित्त समिति (स्था.वि.स.) टिप्पणी, ₹1.98 करोड़ 35 राज्यों/सं.शा.प्र. तथा ₹1.96 करोड़ 16 मंत्रालयों/विभागों को जारी करने के लिए बनायी।

तथापि, बाद में रा.आ.प्र.प्रा. ने (जून 2009) स्था.वि.स. मार्ग का अनुपालन नहीं करने का निर्णय लिया। तदनुसार, 35 राज्यों/सं.शा.प्र. तथा 16 मंत्रालयों और विभागों को ₹4.99 करोड़,

रा.आ.प्र.प्रा. के उपाध्यक्ष द्वारा जून 2009 में सहायता अनुदान अनुमोदित किए गए थे। अनुशांसा आदेश के अनुसार, प्रत्येक लाभार्थी को योजना पूर्ण तथा प्रकाशित करनी होगी तथा रा.का.स. को राष्ट्रीय योजना छः माह के अंदर अर्थात् जून 2010 तक पूर्ण करनी थी।

रा.आ.प्र.प्रा. ने सभी राज्यों तथा सं.शा.प्र. को अक्टूबर 2009 में ₹3.52 करोड़ का सहायता अनुदान जारी किया। जनवरी और फरवरी 2010 में निधियाँ निर्गत की गई थीं।

हमने पाया कि लाभार्थी राज्य, सं.शा.प्र., मंत्रालय तथा विभाग अपनी योजना को पूर्ण तथा प्रकाशित नहीं कर पाए। इस प्रकार, योजना के क्रियान्वयन का विहित उद्देश्य ₹3.52 करोड़ के व्यय के बावजूद असफल हो रहा था।

गृ.मं. (दिसम्बर 2012) ने बताया कि योजना को ग्यारहवीं योजना में सम्मिलित करने हेतु योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था, जैसा कि योजना की वित्तीय सहायता के लिए शुरू में प्रस्तावित किया गया था। तथापि, प्रस्ताव का कार्योत्तर अनुमोदन विचाराधीन था।

3.3 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश

आ.प्र. अधिनियम के अनुसार, रा.आ.प्र.प्रा. को आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर दिशानिर्देश तैयार करने थे, जिसका भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा पालन किया जाना था। रा.आ.प्र.प्रा. ने विभिन्न प्रकार की आपदाओं तथा संबंधित विषयों पर 17 राष्ट्रीय दिशानिर्देश निर्मित तथा जारी किए (अक्टूबर 2012)। इन दिशानिर्देशों का मुख्य लक्ष्य एकीकृत आपदा प्रबंधन सुनिश्चित करना था। दिशानिर्देश आपदा प्रबंधन चक्र के सभी चरणों को शामिल

करते हुए पहलों तथा गतिविधियों की क्रियान्वयन को संस्थागत करने के लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं।

रा.आ.प्र.प्रा. अप्रैल 2007 से ही विभिन्न राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का परिचालन कर रहा था, परन्तु इसकी कोई सूचना नहीं थी कि क्या मंत्रालयों, विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा उन्हें अपनाया जा रहा था।

दिशानिर्देशों ने विशिष्ट समय सीमाओं के साथ कार्य बिन्दुओं पर एक अध्याय भी प्रदान किया।

हालांकि, यह पाया गया था कि रा.आ.प्र.प्रा. के पास कार्य बिन्दुओं में उल्लिखित डिलिवेरेबल्स के अनुपालन तथा उसकी उपलब्धियों पर कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उनकी मॉनीटरिंग को अप्रभावी प्रकट किया।

यह इंगित किये जाने पर, रा.आ.प्र.प्रा. ने बताया (जुलाई 2012) कि एक बार दिशानिर्देशों में डेलिवेरेबल्स एवं समय सीमाओं को उल्लेख हो जाने के बाद, यह रा.का.स., राज्य सरकारों/ मंत्रालयों तथा जिलों की जवाबदेही है, रा.आ.प्र.प्रा. की नहीं।

गृ.मं. ने बताया (दिसम्बर 2012) कि दिशानिर्देशों में सूचित समय सीमाएं विभिन्न हितधारकों के लिए सूचक है तथा उनसे अपने क्षेत्रों से संबंधित आपदाओं के प्रबंधन के लिए स्वयं की योजनाओं एवं समन्वय तंत्र लाने की अपेक्षा की गई थी। मंत्रालयों, विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा दिशानिर्देशों की अनुपालना, एक सतत और उभरती हुई प्रक्रिया है।

हमारे मत में, चूंकि रा.आ.प्र.प्रा. की रा.का.स. कार्यकारणी शाखा है, इसके द्वारा जारी

दिशानिर्देशों पर अनुपालन सुनिश्चित करना रा.आ.प्र.प्रा. का दायित्व था।

3.3.1 रा.आ.प्र.प्रा. की जनवरी 2010 में आयोजित बैठक में चर्चा के सार अभिलेखों के अनुसार रा.आ.प्र.प्रा. के उपाध्यक्ष ने वर्तमान स्थिति और आगे की राह पर एक प्रस्तुति दी। यह बताया गया था कि निम्न दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिये जाने का कार्य हो रहा था:

- समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन
- माइक्रो फाइनेंस व जोखिम प्रबंधन
- आपदोत्तर पुनर्गठन, तथा
- सांस्कृतिक विरासत व स्मारकों की सुरक्षा

इन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गयी थी, और दो वर्ष के विलम्ब के बाद भी, दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देना अभी शेष था। इन दिशानिर्देशों की अनुपस्थिति में आपदा तैयारी के लिए पहल तथा गतिविधियों के क्रियान्वयन को संस्थागत करने के प्रोत्साहन को हितधारकों तक विस्तारित नहीं किया जा सकता।

3.4 भूमिकाओं तथा दायित्वों का सीमांकन

आ.प्र. अधिनियम के धारा 75 के अनुसार, अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार को नियम बनाने थे।

आ.प्र. अधिनियम 2005 में परिकल्पित विविध नियमों को बनाने तथा सूचित करने के लिए प्रधान मंत्री कार्यालय ने फरवरी 2006 में, रा.आ.प्र.प्रा. के लिए एक कार्यकारी व्यवस्था के विकास हेतु कार्य करने के लिए निर्देश दिया। इस कार्य की सिफारिशें एक मंत्री समूह (मं.स.) के समक्ष रखनी थी। तदुपरांत, गृ.मं. को मं.स. द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए गए दिशानिर्देशों को क्रियाचित्त करना आवश्यक था। हमने देखा कि

रा.आ.प्र.प्रा. के लिए नियमों और विनियमों को तैयार तथा सूचित करना अभी शेष है।

रा.आ.प्र.प्रा. का गठन सितम्बर 2006 में आ.प्र. अधिनियम के अंतर्गत हुआ परंतु रा.आ.प्र.प्रा. के आंतरिक आचरण से संबंधित व्यापार नियमों का गठन अभी होना था। फरवरी 2011 में, गृ.मं. ने रा.आ.प्र.प्रा. को व्यापार नियमों को तैयार करने का निर्देश दिया, जिसका अनुवर्तन अनुस्मारकों द्वारा किया गया। तथापि, रा.आ.प्र.प्रा. ने अगस्त 2012 तक इन नियमों को अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत नहीं किया था। हमने पाया कि गृ.मं. का रा.आ.प्र.प्रा. से संबंधित भूमिकाओं में स्पष्टता का अभाव था।

रा.का.स. की नियमित बैठकों के अभाव में, रा.आ.प्र.पा. के कार्यकारणी शाखा के रूप में गृ.मं. कार्य करता है।

जहाँ तक रा.आ.प्र.पा. के विभिन्न न्यूनीकरण परियोजनाओं के लिए सरकार के अनुमोदन का संबंध है, गृ.मं. एक प्रशासनिक मंत्रालय के रूप में कार्य करता है।

गृ.मं. ने (दिसम्बर 2012) बताया कि रा.आ.प्र.पा. अपने आंतरिक संचालन से संबंधित व्यापार नियमों को बनाने की प्रक्रिया में था।

का सूचक था। इनके बीच स्पष्टता के अभाव एवं अतिव्यापी भूमिकाओं तथा दायित्वों का विवरण तालिका 3.1 में दिया गया है।

गृ.मं. ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया है और बताया है (दिसम्बर 2012) कि एक कार्य बल का गठन किया गया था। कार्य बल की अनुशंसाओं पर सरकार उचित निर्णय लेगी, जोकि लेखापरीक्षा द्वारा पाए गए सुझावात्मक मुद्दों को संबोधित करेगा।

यह रा.का.स., रा.आ.प्र.पा. तथा गृ.मं. के मध्य भूमिकाओं एवं दायित्वों के सीमांकन में अस्पष्टता

तालिका 3.1: भूमिकाओं एवं दायित्वों में स्पष्टता का अभाव

अधिदेश/कार्यक्षेत्र	नियत भूमिका (आ.प्र. के अधिनियम अनुसार)	किया गया कार्य (वास्तविक रूप से)	सरोकार क्षेत्र
रा.का.स. को रा.आ.प्र.पा. के कार्यों के निष्पादन तथा साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में सहयोग एवं किसी भी आपदा के समय प्रतिक्रिया का समन्वय करना था।	रा.का.स.	रा.का.स. ने अपनी अंतिम बैठक में राष्ट्रीय योजना के तैयार करने के लिए तीन उप-समितियों की अनुशंसा की थी। परंतु रा.का.स. की अन्य भूमिकाएं गृ.मं. द्वारा निष्पादित की गयीं।	चूंकि मई 2008 से इसकी कोई बैठक भी नहीं हुई, रा.का.स. किसी भी आपदा के दौरान प्रतिक्रिया का समन्वय करने में अप्रभावी प्रमाणित हुई। जबकि यह इस समयावधि गंभीर प्राकृतिक आपदाओं की गवाह रही थी।
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन रा.का.स. द्वारा किया जाना था जिसमें से वह आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत तथा पुनर्वास के व्ययों को पूरा कर सके।	रा.का.स.	राज्य के राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के प्रस्तावों के दूसरे चरण का निष्पादन गृ.मं. के अं.मं.स. तथा कृषि मंत्रालय द्वारा किया गया था।	अं.मं.स. प्रक्रिया जो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि तथा रा.का.स. के आने के पूर्व उपस्थित थी, वह गृ.मं. द्वारा जारी रखी गयी। रा.का.स. को अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक रूप से सक्रिय नहीं किया गया।
सामान्य अधीक्षण, निर्देशन तथा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का नियंत्रण	रा.आ.प्र.पा.	गृ.मं. बटालियन की तैनाती तथा बल के अन्य प्रशासनिक मामलों को देखता है।	बल का स्वयं का म.नि.मु. कार्यालय होने के बावजूद उसने रा.आ.प्र.पा. तथा गृ.मं. के दोहरे समावेश के अंतर्गत कार्य किया।

प्रतिक्रिया, राहत तथा पुनर्वास	अधिनियम ¹³ में परिभाषित नहीं।	केन्द्र सरकार (गृ.मं., नोडल मंत्रालयों तथा अन्य विभागों)	रा.आ.प्र.प्रा., प्रतिक्रिया क्रियाकलापों को निष्पादित करता हुआ भी पाया गया जैसे कि, रा.आ.प्र.प्रा. में संचालन केन्द्र तथा लेह में बादल फटने तथा उड़ीसा चक्रवात (आइला) के हाल ही के आपदाओं में पुनर्वास से संबंधित अन्य कार्य
रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल एवं परमाणु संबंधी आपदा पर प्रतिक्रिया	अधिनियम में परिभाषित नहीं	राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति	रा.जै.रे.प. में सुरक्षा बलों तथा आसूचना एंजेंसियों, की सूक्ष्म अंतर्भावियता की आवश्यकता होती है, जिसे रा.सं.प्र.स. द्वारा देखा जाता था। रा.आ.प्र.प्रा., हालांकि, आपातकालों के संबंध में दिशानिर्देश बनाती है, प्रशिक्षण तथा तैयारी संबंधी क्रियाकलापों की सुविधा देती है।

अनुशंसाएं:

- रा.का.स. तथा गृ.मं. को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपदा प्रबंधन के लिए एक समग्र राष्ट्रीय योजना का विकास शीघ्रातिशीघ्र किया जाए।
- रा.आ.प्र.प्रा. को मंत्रालयों, विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा दिये गये अपने राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन का अनुसरण करना चाहिए।
- गृ.मं., रा.का.स. तथा रा.आ.प्र.प्रा. की भूमिकाएं तथा दायित्व इन हितधारकों के कार्यों के स्पष्ट सीमांकन हेतु विनिर्दिष्ट होने चाहिए।

¹³ केवल धारा 6(1) तथा 6(2)(च) में उपलब्ध, जो कहता है, आपदा प्रबंध के लिए नीतियों तथा योजनाओं के प्रवर्तन तथा क्रियान्वयन का समन्वय; रा.आ.प्र.प्रा. के पास है।